

65  
23

कलेक्टर माण्डल

पञ्जावली महंगाई राहत कॅम्प ऐव प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कॅम्प ग्राम पंचायत बावडी में पेश हुई, विपक्षीयता के सम्मन बाद तागिल होकर प्राप्त हुए जिसे शापक किये गये। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथमसे लिखा जाकर शामिल पञ्जावली किया गया। पञ्जावली फॉर्मल सुमार होकर नम्बर से कम ले।

हुकमीचन्द सोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023  
जिला भीलवाडा

धीरेश्वरीय अधिकारी - हुक्मीचन्द रोहतासिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 85/23 प्राप्पत्र

1- श्रीमती गीता (पं०) शंकरलाल बैरवा जिरारी - गाण्डल तहसील - गाण्डल

-प्राथी

संज्ञा

1- श्री शंकर (पं०) उदा गाडरी जिरारी - ब्यावडी तहसील - गाण्डल (तंगेंग)  
(संक्षिप्त प्रोपत्र संख्या)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 16.05.23

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ब्यावडी पटवार हल्का ब्यावडी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 507/1, 851 कुल कित्ता 0.2 रकबा 0.5058 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ब्यावडी पटवार हल्का ब्यावडी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 507/1, 851 कुल कित्ता 0.2 रकबा 0.5058 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सी.आ. की 500/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की दृश्यास्थिति को बनाये रखते हुए नुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुक्मीचन्द रोहतासिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
- सन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर धालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुक्मीचन्द रोहतासिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023